सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. Tour Report/12/VC(UP)/2018/RU-I — दिनांक: 21–08–2018

सिटिंग नोटिस

विषय: उत्तर प्रदेश के मऊ, बलिया, कुशीनगर और चंदौली जिलों में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा काफी कठिनाइयों का सामना पड़ रहा हैं के संबंध में।

संदर्भ : (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समसंख्यक पत्र दिनाँक 06/08/2018 जिसके द्वारा दिनाँक 18/07/2018 को आयोग में आयोजित सिटिंग के कार्यवृत्त अग्रसारित।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समसंख्यक पत्र दिनाँक 20/08/2018 जो दिनाँक 30 - 31/08/2018 जो उत्तर प्रदेश राज्य की समीक्षा बैठक के संबंध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए लखनऊ में दिनाँक **30/08/2018 को 3:00** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है। बैठक के स्थान का निर्धारण प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ द्वारा की जाएगी।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(एस. पी. मीना)
सहायक निदेशक
दूरभाष--011 24641640

1. प्रधान सचिव
राजस्व विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
बापू भवन, प्रथम तल
उत्तर प्रदेश सचिवालय
लखनऊ -- 226001.
दूरभाष: 0522 -- 2238020, फैक्स: 0522 -- 2239086.
ईमेल: psrevenuedeptup@gmail.com

2. प्रमुख सचिव,
सामाजिक कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार,
उत्तर प्रदेश सचिवालय,
लखनऊ – 226001.
दूरभाष: 0522 – 2238083,
ईमेल: pr.sec.sw@dirsamajkalyan.in

3. जिला मजिस्ट्रेट
जिला - चंदौली
(उत्तर प्रदेश)।
दूरभाष: 05412 262557,
ईमेल: dmchn@nic.in

4. जिला मजिस्ट्रेट,
जिला - कुशीनगर,
(उत्तर प्रदेश)।
दूरभाष: 05564 - 240203,
ईमेल: dmkus@nic.in

5. जिला मजिस्ट्रेट,
जिला – मऊ।
(उत्तर प्रदेश),
दूरभाष: 0547 – 2220233
फ़ैक्स: 0547 - 2223645
ईमेल: dmmau@nic.in
(Mob: 9454417523)

6. जिला कलेक्टर,
जिला - बलिया,
(उत्तर प्रदेश)।
दूरभाष: 05498 - 220311
मोबाइल: 9454417522
ईमेल: dmbal@nic.in

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाई हेतु:

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
प्रथम तल, लाल बहादुर शास्त्री भवन,
सचिवालय,
लखनऊ - 1
दूरभाष: 0522 - 2238212, 2221599
फ़ैक्स: 0522 - 2239283
ईमेल: csup@nic.in

प्रतिलिपि:

श्री अरविंद कुमार गोंड,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
दलित – आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन,
बी – 13/9, जनता फ्लैट्स, सैक्टर – 71,
नोएडा – 201307.
(मोबाइल: 9999400508) [उपरोक्त चारो जिलों से प्रत्येक जिले से दो अभ्यावेदक को सिटिंग में उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं तथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया गया हो से संबंधित प्रकरण का सारांश भी साथ लाने को कहे।]